पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–16] रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 2015 ई0 (फाल्गुन 30, 1936 शक सम्वत्) [संख्या–12

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	–	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	139–142	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	117–120	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	–	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	–	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	–	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	–	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	–	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	119–137	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़–पत्र आदि ...	–	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सिंचाई अनुभाग–1

कार्यालय–ज्ञाप

20 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 3292/II–2014–01(84)/2003 टी0सी0–II–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत वर्ष, 2009 में निर्गत सहायक अभियन्ता (सिविल) की ज्येष्ठता सूची के अनुसार वरिष्ठता में ज्येष्ठ कार्मिकों द्वारा कनिष्ठ अधिकारियों की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या 08/एस0बी0/2014, शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव बनाम राज्य, रिट याचिका संख्या 02/एस0बी0/2014, राजेन्द्र चालिसगांवकर एवं अन्य बनाम राज्य, रिट याचिका संख्या 23/एस0बी0/2014, जीवन चन्द्र जोशी बनाम राज्य योजित की गयी।

2. मा0 उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 23/एस0बी0/2014, जीवन चन्द्र जोशी बनाम राज्य एवं रिट याचिका संख्या 02/एस0बी0/2014, राजेन्द्र चालिसगांवकर एवं अन्य बनाम राज्य में, दिनांक 05.11.2014 को आदेश पारित किये गये। आदेश के उद्धरण निम्नवत् हैं :–

In our view, after creation of the State of Uttarakhand, the seniority of the employees was tentative till the matter of allocation of all the employees was finalized. After finalization of the matter of allocation of all the employees, the State is required to make a final seniority list. Therefore, we direct the respondent State to consider the claim of the petitioners also for notional promotion on the basis of their seniority in the cadre within a period of four weeks from the date of production of certified copy of this order.

List the petition on 12.11.2014.

3. मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के आलोक में निम्नलिखित अधीक्षण अभियन्ताओं को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित उनसे कनिष्ठ की अधीक्षण अभियन्ता के पद पर पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति दिये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	अधीक्षण अभियन्ता के पद पर कनिष्ठ की पदोन्नति की तिथि से नोशनल पदोन्नति दिये जाने की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	सर्वश्री–			
1.	रणवीर सिंह चौहान	अधीक्षण अभियन्ता	श्री उमेश कुमार/05.02.2007	दिनांक 31.12.2013 को सेवानिवृत्त
2.	सुनील कुमार जैन	अधिक्षण अभियन्ता	श्री उमेश कुमार/05.02.2007	दिनांक 30.11.2014 को सेवानिवृत्त
3.	राजेन्द्र चालिसगांवकर	अधिक्षण अभियन्ता	श्री उमेश कुमार/05.02.2007	–
4.	राजेन्द्र कुमार गुप्ता	अधिक्षण अभियन्ता	श्री उमेश कुमार/05.02.2007	–
5.	राजकुमार	अधिक्षण अभियन्ता	श्री दुर्गा प्रसाद जुगरान/05.02.2007	दिनांक 30.11.2014 को सेवानिवृत्त
6.	अमरनाथ सिंह बिष्ट	अधीक्षण अभियन्ता	श्री आदित्य कुमार दिनकर/01.03.2007	–

1	2	3	4	5
	सर्वश्री–			
7.	नन्द किशोर शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	श्री डी0सी0 सिंह/24.06.2010	–
8.	सुभाष मित्रा	अधीक्षण अभियन्ता	श्री डी0सी0 सिंह/24.06.2010	–
9.	सुधीर कुमार अग्रवाल	अधीक्षण अभियन्ता	श्री डी0सी0 सिंह/24.06.2010	दिनांक 31.05.2013 को सेवानिवृत्त
10.	जीवन चन्द्र जोशी	अधीक्षण अभियन्ता	श्री डी0सी0 सिंह/24.06.2010	–
11.	सतीश चन्द्र	अधीक्षण अभियन्ता	श्री डी0सी0 सिंह/24.06.2010	–
12.	ललित कुमार शर्मा	अधीक्षण अभियन्ता	श्री दीप चन्द्र पाण्डे/24.06.2010	–
13.	चन्द्र प्रकाश श्रीवास्तव	अधीक्षण अभियन्ता	श्री दीप चन्द्र पाण्डे/24.06.2010	दिनांक 31.01.2014 को सेवानिवृत्त
14.	देवेन्द्र कुमार पचौरी	अधीक्षण अभियन्ता	श्री दीप चन्द्र पाण्डे/24.06.2010	–
15.	मुकेश मोहन	अधीक्षण अभियन्ता	श्री दीप चन्द्र पाण्डे/24.06.2010	–
16.	अनूप कुमार	अधीक्षण अभियन्ता	श्री अनूप कुमार/24.06.2010	–
17.	सुरेश चन्द्र जोशी	अधीक्षण अभियन्ता	श्री नरेन्द्र सिंह पतियाल/24.06.2010	–

उक्त आदेश रिट याचिका संख्या 08/एस0बी0/2014, शैलेन्द्र कुमार श्रीवास्तव बनाम राज्य, 02/एस0बी0/2014, राजेन्द्र चालिसगांवकर एवं अन्य बनाम राज्य, रिट याचिका संख्या 23/एस0बी0/2014, जीवन चन्द्र जोशी बनाम राज्य एवं मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका 16718–19/2014, में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेंगे।

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

24 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 3128/II–2014–01(29)(18)–2011/2013–सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अन्तर्गत डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) से सहायक अभियन्ता (सिविल) के पदों पर चयन वर्ष 2014–15 की रिक्तियों के सापेक्ष नियमित चयन द्वारा प्रोन्नति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्र संख्या 282/25/ई–1/डी0पी0सी0 (ए0ई0)/2014–15, दिनांक 30.10.2014 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित डिप्लोमाधारी कनिष्ठ अभियन्ता/अपर सहायक अभियन्ता (सिविल) को सहायक अभियन्ता (सिविल), वेतनमान ₹ 15,600–39,100 एवं सदृश्य ग्रेड पे ₹ 5,400 के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किये जाने की

श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

डिप्लोमाधारी संवर्ग :

क्र0 सं0	नाम	अभ्युक्ति
1.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान	श्री कुंवर सिंह न्याल, सहायक अभियन्ता (सिविल) के दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष
2.	श्री लोकेन्द्र पाल राणा	श्री भगवती प्रसाद, सहायक अभियन्ता (सिविल) के दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत्ति से उत्पन्न रिक्ति के सापेक्ष

2. पदोन्नत कार्मिकों को वर्तमान तैनाती स्थल पर ही कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इनके पदस्थापना आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे।

3. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

4. उक्त पदोन्नत कार्मिकों को नियमानुसार प्रथम बार ही शिथिलीकरण का लाभ अनुमन्य किया गया है।

उक्त आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या 1782/एस0एस0/2012 श्री अवनीश भटनागर व अन्य बनाम राज्य में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेंगे।

आज्ञा से,
एम0 एच0 खान,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 हिन्दी गजट/141—भाग 1—2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 2015 ई0 (फाल्गुन 30, 1936 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

(प्रशासन प्रभाग)

कार्यालय आदेश

30 दिसम्बर, 2014 ई0

संख्या 1044/सू0एवं लो0सं0वि0 (प्रशा0)–58/2001–अपर सचिव, सूचना, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 868/XXII/2014–13(4)2014, दिनांक 07 नवम्बर, 2014 के माध्यम से प्राप्त अपर सचिव, कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 478/XXX(2)/2014, दिनांक 16 अक्टूबर, 2014 तथा सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या 254/01/E-1/2010–11, दिनांक 30 सितम्बर, 2014 के अनुसार उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा–2010 के माध्यम से चयनित/संस्तुत निम्नांकित अभ्यर्थियों को, श्रेष्ठता क्रम में, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में सूचना अधिकारी के पद पर वेतन बैंड–2, वेतनमान ₹ 9,300–34,800, ग्रेड वेतन ₹ 4,600 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियुक्ति प्रदान की जाती है :–

(1) सुश्री अर्चना (अनुक्रमांक–579907, श्रेणी/उप श्रेणी–अनुसूचित जाति/महिला)
पुत्री श्री नरेश कुमार, इन्दिरा कॉलोनी (एस0बी0आई0 के सामने), गुरुद्वारा रोड, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड)।

(2) श्री बद्रीचन्द (अनुक्रमांक–537614, श्रेणी/उप श्रेणी–अनुसूचित जाति)
पुत्र स्व0 डिकरिया, सी0टी0–04, मनेरी डैम कॉलोनी, पो0–मनेरी, तहसील–भटवाड़ी, उत्तरकाशी (उत्तराखण्ड)।

1. उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है और किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
2. उपर्युक्त अभ्यर्थी सूचना अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में रहेंगे। जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है।
3. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को तैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु कोई मार्ग व्यय देय नहीं होगा।
4. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत/देय महंगाई एवं अन्य भत्ते भी अनुमन्य होंगे।
5. उपर्युक्त अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व निम्नलिखित प्रमाण–पत्र/प्रपत्र भी प्रस्तुत करने होंगे :–
   (1) समस्त चल–अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा, जिसके वे स्वामी हों।
   (2) अभ्यर्थी द्वारी केन्द्र एवं राज्य सरकार के अधीन अब तक की गई सेवा के सम्बन्ध में घोषणा–पत्र तथा संघ अथवा राज्य की सेवा से पदच्युत न किये जाने का प्रमाण–पत्र।

(3) वैवाहिक स्थिति। यदि विवाहित है तो एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने की घोषणा/शपथ–पत्र।

(4) दो राजपत्रित ऐसे अधिकारी, जो सक्रिय सेवा में हों किन्तु उनके सम्बन्धी न हों, के द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र।

(5) अन्तिम स्कूल अथवा संस्था का चरित्र प्रमाण–पत्र।

(6) किसी न्यायालय में कोई अभियोजन न चलाये जाने तथा न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में एक घोषणा–पत्र।

(7) समस्त शैक्षिक योग्यता से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, लागू आरक्षण श्रेणी/उप आरक्षण श्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण–पत्र तथा केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार के अधीन कार्यरत अभ्यर्थी होने की स्थिति में सम्बन्धित विभाग द्वारा देय अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति।

(8) लिखित रूप में एक "under taking" कि यदि पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रावृत सत्यापन तथा चिकित्सा परीक्षण के पश्चात् उन्हें सरकारी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं पाया जाता है तथा भविष्य में उनका कोई प्रमाण–पत्र जाली/त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो यह नियुक्ति निरस्त समझी जाय। जिसके लिए वे किसी क्षतिपूर्ति के हकदार नहीं होंगे।

(9) इण्डियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जानकारी होने का प्रमाण–पत्र।

6. यह नियुक्ति आदेश मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल में लम्बित रिट याचिका संख्या 67/2014, शैलेश भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 86/2014, हेम चन्द्र एवं अन्य बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 106/2014, सुमित भण्डारी बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 562/2011, नन्द किशोर बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या 326/2011, आशुतोष भट्ट बनाम उत्तराखण्ड राज्य, रिट याचिका संख्या (पी0आई0एल0) 67/2011, रिट याचिका संख्या 330/2013, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, रिट याचिका संख्या 208/2014, पुष्पेन्द्र चौधरी बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग एवं इस परीक्षा से सम्बन्धित अन्य याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय/आदेश के अधीन रहेगा।

सम्बन्धित अभ्यर्थियों को इस आदेश के जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर गढ़वाल मण्डल विकास निगम बिल्डिंग, 74/1, राजपुर रोड, देहरादून स्थित सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड में कार्यभार ग्रहण करना होगा। उक्त निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में यह मान लिया जायेगा कि उन्हें नियुक्ति स्वीकार्य नहीं है और उनके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।

रविनाथ रामन,
महानिदेशक।

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, गढ़वाल सम्भाग, पौड़ी

आदेश

18 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 1001/लाईसेन्स नि0/2014–15–सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग के पत्रांक 377/प्रवर्तन/2014, दिनांक 15–10–2014 के माध्यम से श्री देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री राम सिंह, निवासी ग्राम व पो0–चेपड़ो, थराली, जिला चमोली के लाइसेन्स सं0 यू0के0–1220020014902 के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। इस क्रम में दिनांक 21–11–14 को श्री देवेन्द्र सिंह को इस कार्यालय पत्रांक 901/लाइसेन्स/नोटिस/2014–15 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पत्र लिखा गया, जिसके क्रम में श्री देवेन्द्र सिंह द्वारा अपना पक्ष वर्तमान तक प्रस्तुत नहीं किया गया है।

अतः सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, कर्णप्रयाग के अनुरोध पर लाइसेंस अधिकारी पौड़ी के रूप में मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), पौड़ी, मोटरयान अधिनियम की धारा 19 के प्राविधानों के अन्तर्गत उपरोक्त चालक के लाइसेंस संख्या यू0के0–1220050016765 को आज दिनांक 19–12–2014 से 18–02–2015 तक दो माह की अवधि के लिये निलम्बित करती हूँ।

रश्मि भट्ट,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
(प्रशासन), पौड़ी।

कार्यालय, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर

कार्यालय आदेश

31 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 1477/टी0आर0/पंजी0नि0/यूके06टीए–1001/2014–वाहन संख्या यूके0 06टीए–1001, मॉडल, 2010, चेसिस संख्या 5G0210052 तथा इंजन नं0 ROF2812426, कार्यालय में श्री अखतर हुसैन पुत्र श्री असगर हुसैन, निवासी म0 नं0 76, सोनरी वार्ड नं0 2, किच्छा, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 30.12.2014 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.12.2014 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूके06टीए–1001, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 5G0210052 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

कार्यालय आदेश

17 जनवरी, 2015 ई0

पत्रांक 1533/टी0आर0/पंजी0नि0/यूपी03–2012/2014–वाहन संख्या यूपी03–2012, मॉडल, 1996, चेसिस संख्या 386045FTQ821743 तथा इंजन नं0 497D21FTQ762983, कार्यालय में श्री नीमाई पुत्र श्री अतुल, निवासी ट्रांजिट कैम्प, रुद्रपुर, जिला ऊधमसिंह नगर के नाम पंजीकृत है। वाहन स्वामी ने दिनांक 07.01.2015 को आवेदन–पत्र के साथ वाहन की मूल चेसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन मार्ग पर संचालन योग्य न रहने के कारण वाहन को स्क्रेब में विक्रय करना चाहता है, साथ ही वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन का कर 31.01.2015 तक जमा है। वाहन फाइनेन्स से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चैक चालान लम्बित नहीं है। तथा वाहन का मार्ग परमिट सचिव, सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी द्वारा समर्पण/निरस्त/जारी करने हेतु उनके कार्यालय की आख्या अंकित है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, नन्द किशोर, पंजीयन अधिकारी मोटर वाहन विभाग, ऊधमसिंह नगर, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 55 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए वाहन संख्या यूपी03–2012, का पंजीयन चिन्ह एवं चेसिस संख्या 386045FTQ821743 तत्काल प्रभाव से निरस्त करता हूँ।

नन्द किशोर,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।

कार्यालय, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून सम्भाग, देहरादून

आदेश

08 जनवरी, 2015 ई0

संख्या 192/प्रशासन/लाईसेंस/2015–वाहन संख्या यूके07सीए–1821, भारवाहन का चालान दिनांक 31–12–2014 को सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, विकासनगर द्वारा चालक द्वारा शराब का सेवन कर वाहन संचालित करने आदि अभियोग में किया गया है। उक्त अनियमितता के कारण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा वाहन चालक श्री मनोज कुमार पुत्र श्री शेर सिंह, कुलड़ी, मसूरी, देहरादून की चालन अनुज्ञप्ति संख्या–यूए–07200201816 44 जो कि

कार्यालय द्वारा मोटर साईकिल एवं हल्का परिवहन यान के लिए जारी की गयी है तथा दिनांक 22–10–2017 तक वैध है, के विरूद्ध कार्यवाही की संस्तुति की गयी है। उक्त सम्बन्ध में लाइसेंसधारक को एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु पंजीकृत डाक से नोटिस संख्या–103, दिनांक 07–01–2015, जारी किया गया है। लाइसेंसधारक कार्यालय में उपस्थित हुये तथा लाइसेंसधारक द्वारा अवगत कराया गया है कि वह वर्तमान में लाइसेंस में अंकित पते पर नहीं रहते हैं, जिस पर उनको नोटिस की एक प्रति कार्यालय में दिनांक 07–01–2015 को प्राप्त करायी गयी है। लाइसेंसधारक दिनांक 08–01–2015 को सुनवाई हेतु उपस्थित हुये। लाइसेंसधारक द्वारा अपना अपराध स्वीकार किया गया तथा प्रार्थना की गयी कि यह उनका प्रथम अपराध है, जिसके लिए क्षमायाचना करते हुए भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति न करने की घोषणा के साथ लाइसेंस मुक्त करने की प्रार्थना की गयी।

लाइसेंसधारक को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग प्राधिकारी के रूप में, मैं, संदीप सैनी, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), देहरादून मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त चालन अनुज्ञप्ति को दिनांक 08–01–2015 से 06 माह की अवधि के लिए निलम्बित करता हूँ। लाइसेंसधारक द्वारा निलंबन अवधि समाप्त होने पर किसी अधिकृत चालन प्रशिक्षण संस्थान से दो दिवसीय रिफ्रेशर कोर्स में प्रतिभाग कर प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर लाइसेंस अवमुक्त किया जायेगा तथा नियमानुसार लाइसेंस में अपना वर्तमान पता अंकित कराया जायेगा।

संदीप सैनी,
सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन),
देहरादून।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 हिन्दी गजट/141–भाग 1–क–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 21 मार्च, 2015 ई0 (फाल्गुन 30, 1936 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा

संशोधित व्यवसायिक लाइसेंस उपनियमावली

30 अक्टूबर, 2014 ई0

पत्र संख्या 1052/30–1 उपनियमावली/2014–2015–नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा शासन द्वारा अंगीकृत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298(1) के द्वारा प्रचलित नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा की मासिक अधिवेशन दिनांक 24.07.2014 के प्रस्ताव सं0 19 व प्रस्ताव सं0 7 द्वारा लाइसेंस शुल्क व पशुवधशाला शुल्क को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है, इसके अतिरिक्त अन्य व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क यथावत् ही रहेंगे। नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300 (1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, जिस पर समयान्तर्गत कोई आपत्ति व सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। उपरोक्त उपनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

संशोधित उपनियमावली

1. नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा पूर्व में प्रकाशित व्यवसायिक लाइसेंस शुल्क कार्यालय पत्रांक 1152/30–1/2009–10/दिनांक 23.01.2010 के द्वारा प्रकाशित कराया गया था, नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के मासिक अधिवेशन के प्रस्ताव सं0 7 के द्वारा उपनियमावली के क्र0 सं0 41 पशुवधशाला शुल्क को सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून के पत्र सं0 672/IV(2)–शा0वि0–2014–104(सा0)03, दिनांक 09 मई, 2014 के द्वारा पशुवधशाला शुल्क को उपविधि में संशोधन किया गया।

पशुवधशाला संशोधित शुल्क

क्र0 सं0	पशु का नाम	वर्तमान दर	संशोधित दर
1.	बकरा प्रति	₹ 10.00	₹ 50.00
2.	भैंसा प्रति	₹ 50.00	₹ 100.00
3.	सुअर प्रति	₹ 50.00	₹ 100.00

2. लाइसेंस उपनियमावली क्र0 सं0 60 में बेकरी लाइसेंस शुल्क ₹ 15,000.00 (रुपये पन्द्रह हजार मात्र) निर्धारित किया गया था, जिसे बोर्ड द्वारा दिनांक 24.07.2014 के मासिक अधिवेशन के प्रस्ताव सं0 19 द्वारा संशोधित कर ₹ 15,00.00 (रुपये पन्द्रह सौ मात्र) किया गया।

3. नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के मासिक अधिवेशन दिनांक 24.07.2014 के प्रस्ताव सं0 19 द्वारा नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के सीमान्तर्गत मुर्गा/मछली का लाइसेंस शुल्क ₹ 2,500.00 (दो हजार पाँच सौ मात्र) प्रति वर्ष निर्धारित किया गया।

शास्ति

यदि कोई व्यक्ति नियमों का उल्लंघन करेगा तो वह वैधानिक दण्ड का भागी होगा जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 के अन्तर्गत ₹ 1000.00 (एक हजार रु0 मात्र) अर्थ दण्ड तक होगा और यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त दण्ड ₹ 100.00 (एक सौ रु0 मात्र) प्रतिदिन होगा।

अशोक कुमार वर्मा,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा।

प्रकाश चन्द्र जोशी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा

भवन निर्माण उपनियमावली

01 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्र संख्या 1179/30–1 उपनियमावली/2014–2015–नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा, नगर पालिका सीमान्तर्गत भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियमावली, उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 सूची (1), उपखण्ड 'क', क, ख, ग, घ, ङ, के अन्तर्गत पालिका के मासिक अधिवेशन दिनांक 24–07–2014 के प्रस्ताव संख्या 06 द्वारा उपनियमावली उत्तराखण्ड शासन द्वारा अंगीकृत उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 संख्या 02 के तहत उपनियमावली बनाई गई है। नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 300 (1) के अन्तर्गत आपत्ति एवं सुझाव हेतु समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया था, जिस पर समयान्तर्गत कोई आपत्ति व सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं। उपरोक्त उपनियमावली सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

उपनियमावली

(1) यह उपनियमावली नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा सीमान्तर्गत भवन निर्माण सम्बन्धी उपनियमावली कहलायेगी।

(2) यह उपनियमावली उत्तराखण्ड सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनाँक से प्रभावी होगी।

(3) परिभाषाएं :

(अ) "नगर पालिका परिषद्" से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा और उसकी सीमा से है ;

(ब) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा से है ;

(स) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा से है।

(4) नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा सीमान्तर्गत कोई व्यक्ति किसी भवन या भूमि का स्वामी है। उसे किराये पर देने अथवा विक्रय करने का हक रखता है। वह उस निर्माण पुनर्निर्माण या परिवर्तन करना चाहता है तो वह नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 178 (2) के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के अधिशासी अधिकारी को एक लिखित आवेदन करना होगा।

(5) भूमि/भवन स्वामी आवेदन–पत्र के साथ भवन निर्माण, पुनर्निर्माण अथवा परिवर्तन से सम्बन्धित है, भवन का निर्माण मानचित्र। क्लॉथ प्रिन्ट व 2 ब्लू प्रिन्ट में प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ खाता खतौनी, भूमि मानचित्र, शपथ–पत्र, विद्युत विभाग व जल संस्थान का अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(6) भूमि व भवन स्वामी को आवेदन व मानचित्र के साथ एफ0डी0आर0 भी प्रस्तुत करनी होगी। एफ0डी0आर0 अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के नाम बंधक करानी होगी। क्षेत्रफल 0–500 वर्ग फिट कर रैं 2000.00 की एफ0डी0आर0 निर्धारित की गई है। भवन/भूमि स्वामी को क्षेत्रफल के आधार पर अवर अभियन्ता के निर्देश पर एफ0डी0आर0 बनानी होगी।

(7) भवन/भूमि स्वामी को शासनादेश संख्या 2312/अ/श0वि0–आ0–04(आ0)/2004, दिनाँक 15 जून, 2004 के द्वारा नये भवन निर्माण एवं महत्वपूर्ण अवस्थापना सुविधाओं में भूकम्परोधी व्यवस्था के अनुसार भवन निर्माण करना होगा। भूकम्प अवरोधी डिजाईन नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा से लाइसेंस प्राप्त तकनीकी इंजीनियर का मान्य होगा। लाइसेंस प्राप्त तकनीकी इंजीनियर की डिजाईन व प्रमाण–पत्र, शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा। भूकम्परोधी इंजीनियर द्वारा भूकम्परोधी डिजाईन से प्राप्त शुल्क का 25 प्रतिशत नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा में जमा करना होगा। भवन/भूमि स्वामी एम0ए0सी0 05 रसीद प्राप्त कर लेवें।

(8) भू/भवन स्वामी भवन निर्माण मानचित्र नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा से लाइसेंस प्राप्त मानचित्र कार या डिप्लोमा इंजीनियर का ही मान्य होगा। नगर पालिका परिषद् द्वारा लाइसेंस प्राप्त के ही मानचित्र ही विचारार्थ स्वीकृत किये जायेंगे।

(9) भवन निर्माण मानचित्र का निर्धारित शुल्क व निर्माण सामग्री शुल्क नियमावली के नियम 14 में दर्ज है। उसका भुगतान नगर पालिका कार्यालय में जमा कर एम0ए0सी0 रसीद 05 प्राप्त कर लेवें।

(10) नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा में भवन मानचित्र स्वीकृत कराने हेतु निर्धारित शुल्क जमा करने के उपरान्त भवन स्वामी के मानचित्र को अस्वीकृत के दिनाँक से एक वर्ष की अन्तर्गत पालिका द्वारा सम्पूर्ण आपत्तियों के निस्तारण के पश्चात् बिना शुल्क अपने भवन के मानचित्र को प्रेषित करने की आज्ञा दी जायेगी, पूर्व में जमा शुल्क की रसीद एम0ए0सी0 05 की छाया प्रति संलग्न करनी होगी।

(11) भवन/भूमि स्वामी को लोक निर्माण विभाग के सड़क के समीप निर्माण करने पर भी निर्धारित दूरी सम्बन्धी भवन मानचित्र के साथ रोड साईड कन्ट्रोल एक्ट के तहत अनुमति प्राप्त कर नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा में प्रस्तुत करना होगा।

(12) भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र में सभी मानचित्र 1 से0मी0 बराबर 1 मीटर के पैमाने पर सही ढंग से खींचे होने चाहिए और स्केल मानचित्र में अंकित होना चाहिए और उत्तरी रेखा भी नक्शे पर दर्शानी चाहिए तथा मानचित्र पर निम्न विवरण दर्शाना चाहिए :–

(क) मानचित्र में उस भूखण्ड से मिली हुई सम्पूर्ण गलियों, सड़कों की चौड़ाई तथा परिमाप तथा आधार दर्शाना चाहिए तथा भूखण्ड के निकट गुजरने वाली बिजली व टेलीफोन के तारों व खम्बों का उल्लेख भी होना चाहिए। मानचित्र में उस भूखण्ड की चौहद्दी भी साफ–साफ दर्शानी चाहिए तथा उस भूखण्ड के चारों ओर से भवन स्वामियों के नाम मानचित्र में दर्शाने चाहिए। भूखण्ड की प्लॉट संख्या भी दर्शानी होगी।

(ख) मानचित्र में छत और परनाले का गन्दे पानी की निकास नालियों का उल्लेख होना चाहिए। मानचित्र में जलसंचय का स्पष्ट प्राविधान रखा जाना आवश्यक होगा।

(ग) आवश्यक सेवाओं का सही स्थानापन्न जैसे शौचालय, स्नानागार, सैप्टिक टेंक आदि का स्पष्ट उल्लेख मानचित्र में होना चाहिए।

(घ) मानचित्र में निम्न बातों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए :–

(1) भूतल व उससे मिली हुई नालियों सड़कों और गैर इस्तेमाली स्थानों का विवरण।

(2) सड़कों की परिमाप एवं उन कमरों के इस्तेमाल का विवरण जैसा कि शयनकक्ष, रसोईघर, शौचालय आदि।

(3) भूतल, प्रथम तल और अतिरिक्त तल, प्रत्येक तल का क्षेत्रफल सहित।

(4) मानचित्र में भवन का फ्रन्ट एलीवेशन तथा सेक्शन दर्शाना चाहिए।

(5) कुर्सी का लेबिल तथा अभियन्यास प्लॉन से लगी सड़कों का लेबिल।

(6) दरवाजों तथा खिड़कियों तथा वेन्टीलेटरों का प्रकार एवं माप।

(7) सामग्री का प्रकार जिससे बुनियादी दीवारें, छत तथा फर्श का निर्माण होना है।

(8) मानचित्र पर आवेदक का पूर्ण पता, भूखण्ड, भवन संख्या, वार्ड मौहल्ला तथा हस्ताक्षर अंकित होने चाहिए।

(ङ) प्रस्तावित एवं वर्तमान कार्यों को विभिन्न रंग से स्वच्छता के साथ दिखाना चाहिए जैसे प्रस्तावित लाल रंग से, वर्तमान कार्य बैंगनी रंग से, परनाला तथा नालियों को नीले रंग से तथा अन्य व्यक्तियों की सम्पत्ति को पीले रंग से दर्शाना चाहिए।

(13) शुल्क उपनियमावली (9) में दर्शाया गया। मानचित्र नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा में प्रस्तुत करने पर निम्न शुल्क अदा करना होगा।

क्र0 सं0	भवन का प्रकार	भूतल प्रति वर्ग मीटर		अतिरिक्त तल	
		वर्तमान	संशोधित	वर्तमान	संशोधित
1.	निवासीय भवन (कवर्ड एरिया)	15.00	30.00	10.00	20.00
2.	निवासीय (एरिया ओपन)	5.00	10.00	5.00	10.00
3.	व्यावसायिक भवन (कवर्ड एरिया)	45.00	60.00	30.00	50.00
4.	व्यावसायिक भवन (ओपन एरिया)	25.00	50.00	—	40.00
5.	वर्कशाप फैक्ट्री आदि (कवर्ड एरिया)	30.00	60.00	20.00	40.00
6.	वर्कशाप फैक्ट्री आदि (ओपन एरिया)	25.00	50.00	20.00	40.00

(1) प्रतिबन्ध यह होगा कि मुख्य भवन का कवर्ड एरिया एवं ओपन एरिया पर भी निर्धारित शुल्क देय होगा।

(2) इस शुल्क में ट्रेसिंग क्लॉथ का शुल्क शामिल नहीं है।

(3) नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 181 के तहत यह स्वीकृति 01 वर्ष हेतु मान्य होगी।

(4) यदि निर्माण कार्य एक वर्ष में पूर्ण नहीं होता है तो भवन/भूमि स्वामी एक आवेदन–पत्र अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा को समयवृद्धि के लिए देगा। उस पर सिर्फ (एक) वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। उसके उपरान्त समयवृद्धि नहीं की जायेगी।

(14) (क) कोई भी भवन कच्चा, पक्का या पूर्ण तथा पक्का हो सकता है।

(ख) सार्वजनिक मार्ग पर किसी भी प्रकार का प्रोजेक्शन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ग) भूतल पर सड़क की ओर खुलने वाले दरवाजे भीतर की तरफ रहेंगे।

(घ) प्रस्तावित निर्माण यदि सार्वजनिक सड़क या नाली के किनारे किया जाता है। तो नाली/सड़क की पटरी से 1.20 मीटर चौड़ा स्थल छोड़कर निर्माण की स्वीकृति की जायेगी।

(15) धार्मिक स्थल मस्जिद, मन्दिर एवं गुरूद्वारा इसी प्रकार के धार्मिक स्थलों की स्वीकृति उस समय तक नहीं दी जायेगी जब तक सड़क के किनारे से 7.50 मीटर की दूरी पर न हो तथा प्रस्तावित धार्मिक स्थल किसी अन्य धार्मिक स्थल से 100 मीटर की दूरी के भीतर निर्माण नहीं किया जायेगा।

(16) बिजली के तार–बिजली तारों से भारतीय विद्युत अधिनियम और उसमें समय–समय पर होने वाले परिवर्तन में उल्लिखित दूरी के अन्तर्गत किसी भी इमारत में बरामदा, छज्जा, साहीवान या ऐसे किसी भी प्रकार की चीज का नव निर्माण अथवा परिवर्तन की स्वीकृति नहीं दी जायेगी।

(17) शौचालयों एवं गन्दे पानी का निकास ऐसे व्यक्ति जो भवन निर्माण ऐसे स्थान पर करेगा। जो कि सार्वजनिक नाली से 30 मीटर के भीतर होगा। उसे अपने भवन के पानी की नाली को सार्वजनिक नालों से 30 मीटर के भीतर स्वयं अपने खर्चे से मिलाना होगा।

(18) भवन में फ्लैस–लैट्रीन व सोक्तापिट के भवन मानचित्र स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(19) नालियाँ–भवन की नालियाँ सीमेन्ट, कंक्रीट द्वारा मजबूत व पक्की नालियाँ बनाई जायेंगी तथा सार्वजनिक नालियों से जोड़ा जाना भवन स्वामियों के लिए आवश्यक होगी। भवन स्वामी अपने खर्चे से निर्माण करेगा।

(20) भवन स्वामी को बरसाती पानी छतों से उतरने हेतु पाईप लगाना होगा। पानी की निकासी सार्वजनिक नाली में करनी होगी।

(21) पिलन्थ (कुर्सी) भवन का पिलन्थ भवन के सामने सड़क से कम से कम 0.50 मीटर ऊँचा रखना होगा।

(22) भवन की ऊँचाई–भूतल पर फर्श से छत की ऊँचाई 3.00 मीटर तथा ऊपर के अन्य तलो पर कम से कम 2.80 मीटर रखनी होगी।

(23) (क) भवन के किनारे व्यक्तियों के रहने का क्षेत्रफल कम से कम 720 वर्ग मीटर होगा तथा कमरे की चौड़ाई कम से कम 2.40 मीटर रखी जायेगी।

(ख) कमरे के समुचित जंगलों और वेन्टीलेशनों की व्यवस्था करनी होगी जो कि खुले स्थान पर होंगे तथा इनका क्षेत्रफल कमरे के क्षेत्रफल से 1/3 से कम नहीं होगा।

(ग) जीना–बहुमंजिले भवन में हवादार जीने का निर्माण आवश्यक होगा।

(घ) शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्र में भवन की ऊँचाई 7.50 मीटर निर्धारित की गयी है। यदि कोई व्यक्ति इससे ऊँचा व 12 मीटर तक भवन निर्माण करना चाहता है तो वह शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत पन्तनगर विश्वविद्यालय एवं आई0आई0टी0, रुड़की के स्ट्रक्चर डिजाईन विशेषज्ञों के अतिरिक्त संलग्न सूची के अनुसार प्राधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियरों से ही उक्तानुसार प्रमाण–पत्र प्राप्त आवेदनों पर ही भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु लगाया जायेगा। 12 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन निर्माण नहीं करना होगा। ऐसा कोई भी निर्माण किया गया तो वह अवैध निर्माण माना जायेगा, अवैध निर्माण को नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा ध्वस्त कर दिया जायेगा अथवा निर्माण करने पर नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा, साथ ही उक्त वाद पर जो भी व्यय होगा वह भवन/भूमि स्वामी को अदा करना पड़ेगा।

(24) किसी भी ऐसे भूखण्ड पर आवासीय भवन की स्वीकृति तब तक नहीं दी जायेगी जहाँ पर कूड़ा व गन्दे पदार्थों का ढेर लगाया जाता हो जब तक स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक अपनी स्वीकृति न दें।

(25) जानवरों का बाड़ा–जानवरों के बाड़े में फर्श ढालदार व पक्का बनाना होगा।

(26) (क) नक्शा स्वीकृत करने से पूर्व भूखण्ड के सम्बन्ध कर विभाग की आख्या ली जायेगी।

(ख) स्वास्थ्य अधिकारी/स्वास्थ्य निरीक्षक से रोशनी एवं वेन्टीलेशन/शौचालय आदि का निर्माण सम्बन्धी आख्या ली जायेगी। उसके उपरान्त भवन मानचित्र स्वीकृत की कार्यवाही की जायेगी।

(ग) विद्युत विभाग/जलसंस्थान विभाग की अनापत्ति प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(घ) नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा वन अनुभाग के वनपर्यवेक्षक से भूखण्ड में वृक्षों सम्बन्धित आख्या ली जायेगी।

(27) यदि कोई भी भवन/भूमि स्वामी, नगरपालिका परिषद् अल्मोड़ा के सीमान्तर्गत बिना भवन मानचित्र स्वीकृत कराये भवन का निर्माण करता है तो उसके विरूद्ध अधिशासी अधिकारी नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 185 के अन्तर्गत दण्ड आरोपित करते हुए भवन निर्माण सम्बन्धी मानचित्र सहित समस्त अभिलेख प्राप्त कर मानचित्र शुल्क, निर्माण शुल्क व एफ0डी0आर0 प्राप्त कर भवन मानचित्र स्वीकृत करने की कार्यवाही की जायेगी।

(28) भवन मानचित्र के स्वीकृति हेतु संलग्न की गई एफ0डी0आर0 अवर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण करने के उपरान्त अपनी आख्या प्रस्तुत करनी होगी। पालिका शर्तों के अन्तर्गत भवन निर्माण किया गया है, किसी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक मार्ग व सार्वजनिक नालों पर नहीं किया गया है। उसके उपरान्त ही भवन कर निर्धारण किया जायेगा। उसके उपरान्त ही भवन स्वामी को एक सौ रुपया मात्र एफ0डी0आर0 अवमुक्त शुल्क जमा कर एम0ए0सी0 05 रसीद प्राप्त करेगा। अतिक्रमण पाये जाने पर कम से कम 2000 (दो हजार प्रति वर्गफिट) की दर से कम्पाउण्ड करने का अधिकार अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी का होगा जिसे पालिका हित में वे कर सकेंगे। इस राशि को कम्पाउण्ड शुल्क के नाम से जाना जायेगा।

(29) अवर अभियन्ता की आख्यानुसार सार्वजनिक मार्ग व सार्वजनिक नालों में अतिक्रमण पाया गया तो भवन मानचित्र के साथ संलग्न एफ0डी0आर0 नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा के पक्ष में जब्त कर दी जायेगी साथ ही अतिक्रमण भी हटाया जायेगा, उस पर होने वाला व्यय भी भवन स्वामी से वसूल किया जायेगा।

(30) अधिशासी अधिकारी यह विश्वास कर लेगा कि प्रस्तावित भवन नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 178 से 184 तक एवं उपनियमावली की शर्तों को पूरा करता है तो मानचित्र स्वीकृति प्रदान करेगा। प्रतिबन्ध यह रहेगा कि सार्वजनिक मार्गों व नालों में किसी प्रकार के अतिक्रमण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(31) नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 180 व 183 के तहत किसी प्रस्तावित भवन निर्माण को इस आधार पर कि इससे दूसरे व्यक्ति के भवन में प्रकाश और वायु के अधिकार में हस्तक्षेप होने की दशा में स्वीकृति से इन्कार नहीं कर सकता एवं किसी भी व्यक्ति के विवादों में हस्तक्षेप नहीं करेगा।

शास्ति

उ0 प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा प्रदत्त करते हुए नगर पालिका परिषद्, अल्मोड़ा, जिला अल्मोड़ा यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपनियमों का उल्लंघन करने पर ₹ 1000 (एक हजार रुपया मात्र) दण्ड हो सकता है। उल्लंघन निरन्तर जारी रहने पर अतिरिक्त दण्ड 100 रुपया प्रति दिन होगा।

अशोक कुमार वर्मा,
अधिशासी अधिकारी,
नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा।

प्रकाश चन्द्र जोशी,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, अल्मोड़ा।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बाजपुर (ऊधमसिंह नगर)

उपविधि सूचना

15 नवम्बर, 2014 ई0

27 दिसम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 322/उपविधि/14–15–नगरपालिका परिषद्, बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर ने उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन), अधिनियम, 2003 की धारा 298(2) की सूची–(1) च, छ के अन्तर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर सीमान्तर्गत आटा चक्की, कोल्हू, तेल पेलने की मशीन, धान मिल तथा कारखानें जो विद्युत भाप, पेट्रोल या तेल से चलाये जाते हैं, को विनियमित तथा नियंत्रित करने के लिए लाइसेन्स उपविधि बनाने का प्रस्ताव किया गया है। जिसकी पुष्टि बोर्ड द्वारा अपने प्रस्ताव सं0 4(3), दिनांक 05–09–2014 को कर दी गयी है।

अतः उपविधि उक्त एक्ट की धारा 300 (1) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित की जाती है।

उपविधियाँ

1. परिभाषा किसी बात से प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर–

(क) यह उपविधि नगरपालिका परिषद्, बाजपुर की सीमान्तर्गत विभिन्न व्यवसायों के विनियम हेतु उपविधि कहलायेगी।

(ख) प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बाजपुर के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बाजपुर से है।

(घ) सेवक से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बाजपुर, बाजपुर के अधीन सेवारत कर्मचारी से है।

(ङ) निकाय से तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, बाजपुर से है।

(च) निकाय से तात्पर्य नगरपालिका परिषद् की शासन द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से है।

(छ) मिल तथा फैक्ट्री इसमें वह सभी मिलें तथा फैक्ट्री सम्मिलित हैं, जो दाल, चावल, खांड, गन्ने का रस, चीनी मिल, आईसक्रीम, चारा काटना, लकड़ी चीरना, खराद, रूई धुनना, सूत मिल व दूसरे प्रकार की वस्तुएं, इंजीनियरिंग का सामान आदि बनाने का या अन्य प्रकार के कामों में लाई जाती हो और नगरपालिका परिषद्, बाजपुर की सीमा के भीतर काम में लाई जायें और जो मिट्टी के तेल से पैट्रोल से, स्टीम से, बिजली से या किसी अन्य यन्त्र से चलाई जाती है किन्तु उसमें हाथ या पशुओं द्वारा चलाई जाने वाली मशीनें सम्मिलित नहीं हैं।

2. कोई भी व्यक्ति नगरपालिका परिषद्, बाजपुर की सीमा के भीतर किसी प्रकार की मिल या फैक्ट्री, जिसका वर्णन उपरोक्त परिभाषा में आता है, तब तक न स्थापित करेगा व चलाएगा जब तक उसने इसका लाइसेन्स निकाय के अधिकृत लाइसेंसिंग अधिकारी से इसका लाइसेन्स न प्राप्त कर लिया हो।

(क) यह उपनियम उन सभी मिलों या फैक्ट्री पर भी लागू होंगे जो इस उपनियमों के बनने से पूर्व निर्मित है।

(ख) चारा शब्द का अर्थ उस कुट्टी काटने की मशीन से है जो सभी पॉवर से चलती है।

3. इन उपनियमों के अनुसार नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी/लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे।

4. प्रत्येक लाइसेन्स की अवधि वार्षिक (01 अप्रैल से आगामी वर्ष के 31 मार्च) को समाप्त होने जायेगी और उसके नवीनीकरण के लिये अवधि समाप्ति के 15 (पन्द्रह) दिन पूर्व से प्रार्थना–पत्र देना चाहिये। यदि कोई अवधि समाप्त होने के बाद प्रार्थना–पत्र देता है तो 31 मार्च के बाद ₹ 50.00 (पचास रुपया) अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देना होगा।

5. यदि लाइसेंसिंग अधिकारी की राय में कोई विशेष स्थान किसी विशेष मिल या फैक्ट्री के लिये उचित न हो तो लाइसेन्स खारिज कर सकते हैं, भले ही इन उपनियमों के अनुसार लाइसेन्स दिया जा चुका हो किन्तु ऐसा तभी किया जा सकता है जबकि वहाँ के निवासियों द्वारा आपत्ति उठाई गई हो कि वह मिल या फैक्ट्री आपत्तिजनक सिद्ध हुई हो।

6. मिल या फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों के निवास गृहों को छोड़कर जब तक इंजन अन्य निवास गृहों से 200 फिट की दूरी पर स्थित न हो, इंजन से पैदा हुई आवाज इन उपनियमों के अन्तर्गत आपत्तिजनक मानी जायेगी।

7. प्रत्येक लाइसेन्स गृह को निम्नलिखित नियमों का पालन करना होगा :–

(क) वह स्थान जहाँ मिल या फैक्ट्री लगी हुई है पक्का तथा इतना मजबूत होना चाहिये जो यंत्र के कम्पन्न को सम्भाल सकें।

(ख) वह स्थान जहाँ मिल या फैक्ट्री लगी हुई है, का अहाता स्वच्छ रखा जायेगा तथा रोशनी हवा और नालियों का समुचित प्रबन्ध होगा।

(ग) लाइसेंसिंग अधिकारी अधि0अधि0/अध्यक्ष/निरीक्षक तथा वह सदस्य जिसको निकाय नियुक्त करे, हर समय मिल या फैक्ट्री, यदि बन्द भी हो तो खोली जायेगी और यह अधिकार होगा कि किसी भी वस्तु का नमूना लिया जा सके। प्रबन्धक या स्वामी को उनकी आज्ञाओं का पालन करना होगा।

(घ) जो भी मिल या फैक्ट्री स्टीम या भाप से चलती हो उसकी चिमनी 15 फुट ऊँची आस–पास के समस्त भवनों से होनी चाहिये जो कि 200 फुट के इर्द–गिर्द हो।

(ङ) मिल या फैक्ट्री में एक निरीक्षण पत्रिका रखी जायेगी जो लाइसेंसिंग अधिकारी के समक्ष समय–समय पर प्रस्तुत की जाया करेगी और निरीक्षण के समय निरीक्षक के सम्मुख भी प्रस्तुत की जाया करेगी।

8. लाइसेंस शुल्क पूरे वित्तीय वर्ष का लिया जायेगा जो 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगा चाहे लाइसेंस वित्तीय वर्ष के किसी भी तिथि में बनें।

9. यदि किसी मिल या फैक्ट्री में एक से अधिक मशीनें उपयोग में लाई जाती हैं तो प्रत्येक मशीन का अलग–अलग बदलने की सामान्य फीस अलग–अलग दाखिल करके रसीद व लाइसेंस प्राप्त करना होगा किसी भी मशीन के चालू होने या न होने का कोई कारण नहीं माना जायेगा और जो मिल या फैक्ट्री आदि जो पहले से बन्द होंगे वह इससे मुक्त होंगे किन्तु व किसी भी समय या दशा में चालू करना चाहेंगे जो उनके लिये इन उपनियमों के अधीन कार्य करना होगा।

10. मिल या फैक्ट्री के सम्बन्ध में एक या उससे अधिक मोटर या इंजन हो जो काम में लाये जाये, प्रत्येक का शुल्क जमा करके, प्रत्येक का लाइसेंस लिया जायेगा।

11. लाइसेंस शुल्क निम्नलिखित दरों से लिया जायेगा :–

(1) 01 हार्स पॉवर से लेकर 10 हार्सपॉवर तक के मोटर या इंजन विद्युत या अन्य शक्ति के प्रयोग करने पर ₹ 500.00 (पाँच सौ रुपये मात्र) प्रति वर्ष।

(2) 11 हार्स पॉवर से 30 हार्स पॉवर तक के मोटर या इंजन विद्युत या अन्य शक्ति के प्रयोग करने पर ₹ 2,000.00 (दो हजार रुपये मात्र) प्रति वर्ष।

(3) 31 हार्स पॉवर से 50 हार्स पॉवर तक के मोटर या इंजन विद्युत या अन्य शक्ति के प्रयोग करने पर ₹ 5,000.00 (पाँच हजार रुपये मात्र) प्रति वर्ष।

(4) 51 हार्स पॉवर से 250 हार्स पॉवर तक के मोटर या इंजन विद्युत या अन्य शक्ति के प्रयोग करने पर ₹ 15,000.00 (पन्द्रह हजार रुपये मात्र) प्रति वर्ष।

12. उपरोक्त किसी भी उपनियम के उल्लंघन किये जाने पर लाइसेंसिंग अधिकारी को रद्द/निलम्बित कर सकता है।

13. लाइसेंसिंग अधिकारी/अधिशासी अधिकारी द्वारा निलम्बित या रद्द किये गये लाइसेंस के आदेश के विरुद्ध अपील निकाय में 15 (पन्द्रह) दिन के अन्दर कार्यालय में क्षुब्ध व्यक्ति कर सकता है और कमेटी का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके निकाय एतद्द्वारा यह आदेश देती है कि उपर्युक्त किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा जो रु0 ₹ 1,000 (एक हजार रुपये मात्र) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, ₹ 50.00 (पचास रुपये मात्र) प्रतिदिन दर से अतिरिक्त अर्थदण्ड हो सकता है।

जसवीर कौर,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, बाजपुर
(ऊधमसिंह नगर)।

कार्यालय, नगरपालिका परिषद्, बाजपुर (ऊधमसिंह नगर)

सूचना

15 नवम्बर, 2014 ई0

27 नवम्बर, 2014 ई0

पत्रांक 321—हाटबाजार/तहबाजारी/उपनियम/।—कर अनुभाग—2013—14—नगरपालिका परिषद्, बाजपुर, जिला ऊधमसिंह नगर ने उत्तर प्रदेश म्यु0 एक्ट, 1916 अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 298 (2) लिस्ट—1 जे (डी0) के अन्तर्गत अपनी सीमा अन्तर्गत तहबाजारी की व्यवस्था को नियंत्रित तथा विनियमित करने के उद्देश्य से बोर्ड की बैठक दिनांक 23—10—2013 में प्रस्ताव सं0 5 के अनुसार प्रस्तावित उपविधियों पर स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसे उक्त एक्ट की धारा 301(1) के अनुरूप समस्त प्रभावी व्यक्तियों के सूचनार्थ आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से दैनिक शाह टाईम्स दिनांक 07 फरवरी, 2014 के अंक में प्रकाशित किया गया था। निर्धारित समयान्तर्गत कोई आपत्तियाँ या सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

अतः नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यथा संशोधित) की धारा 298 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उक्त उपविधियों को उत्तराखण्ड शासकीय साधारण गजट में प्रकाशन किये जाने हेतु बोर्ड द्वारा अपने प्रस्ताव सं0 4 दिनांक 05—09—2014 को पुष्टि कर दी गयी है।

उपनियम हाट बाजार/तहबाजारी

1. परिभाषा—किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर .....

(क) यह उपविधि नगर पालिका परिषद्, बाजपुर, ऊधमसिंह नगर की सीमा अन्तर्गत साप्ताहिक हाट बाजार/तहबाजारी के विनियमन हेतु उपविधि कहलायेगी।

(ख) प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी का तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, बाजपुर के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

(ग) अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, बाजपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(घ) सेवक से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, बाजपुर के अधीन सेवारत कर्मचारी से है, जो तहबाजारी कार्य के लिए नियुक्त अथवा अधिकृत किया गया हो।

(ङ) निकाय से तात्पर्य नगर पालिका परिषद्, बाजपुर से है।

(च) ठेकेदार से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसको निकाय द्वारा वार्षिक के रूप में वसूली के लिए ठेका दिया गया हो।

(छ) शैड्यूल का तात्पर्य निकाय द्वारा समय पर निर्धारित की जाने वाली तहबाजारी दरों से है।

(ज) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

खण्ड (ब)

1. नगर पालिका परिषद्, बाजपुर अपनी सीमा अन्तर्गत निश्चित स्थान पर प्रत्येक शुक्रवार को बाजार लगायेगी, जिसे साप्ताहिक बाजार (पैंठ) बाजपुर के नाम से जाना जायेगा।

2. साप्ताहिक पैंठ का स्थान अधिशासी अधिकारी द्वारा परिस्थितियों के अनुसार 15 दिन पूर्व सूचना प्रदान कर परिवर्तित किया जा सकता है।

3. साप्ताहिक पैंठ में आने वाले दुकानदारों हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पालिका द्वारा भूमि का निर्धारण किया जायेगा। उक्त निर्णय रूप से भी सम्बन्धित को मान्य होगा।

4. साप्ताहिक पैंठ में कोई भी व्यक्ति या दुकानदार स्थाई रूप से कब्जा नहीं कर सकता है और न ही कोई पक्का निर्माण कर सकेगा।

5. साप्ताहिक पैंठ में विक्रय हेतु आने वाली प्रत्येक प्रकार की खाद्य सामग्री का अधिशासी अधिकारी द्वारा समय–समय पर निरीक्षण किया जायेगा तथा खराब पाये जाने वाली वस्तुओं को अपने कब्जे में लेकर नष्ट कर सकता है और दुकान को पैंठ में आने से रोक लगायी जा सकती है।

6. साप्ताहिक पैंठ में कोई भी दुकानदार आवश्यक वस्तुओं को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर नहीं बेच सकता।

7. साप्ताहिक पैंठ में मछली तथा मीट को एवं अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थ को खुले स्थान पर नहीं बेचा जा सकता, इसके लिए सामान को भली प्रकार से ढक कर रखना होगा।

8. कोई भी व्यक्ति इन उपनियमों में वर्णित स्थानों के अतिरिक्त, अधिशासी अधिकारी या निकाय द्वारा अधिकृत किसी कर्मचारी से लिखित स्वीकृति तथा निर्धारित शुल्क के दिये बिना निकाय सीमा के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक गली, स्थान में न कोई वस्तु बेचेगा, न बेचने के लिए रखेगा और न कोई बूथ या स्टॉल बनायेगा।

9. नगर सीमा के अन्तर्गत फेरी लगा कर सामान बेचने वाले प्रत्येक पैडलर को सूची में दी गयी दरों के अनुसार शुल्क देना अनिवार्य है।

10. यदि निकाय नीलाम द्वारा तहबाजारी का ठेका किसी ठेकेदार को देती है तो ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को सूची के अनुसार तहबाजारी शुल्क लेने का अधिकार होगा, साथ ही यह भी उपनियमों एवं सूची में अंकित दरों के अनुसार संचालित होगा।

11. इन उपनियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले किसी शुल्क की प्राप्ति पर शुल्क लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर निर्धारित प्रपत्र में करने के पश्चात् शुल्क देने वाले व्यक्ति को देगा।

12. शुल्क स्थल पर न देने के फलस्वरूप यदि कार्यालय में वसूल किया जाता है तो अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी को यह आदेश देने का अधिकार है कि सूची में दी गयी दरों से दुगनी रकम वसूल की जाये।

उपनियम 1 में दिये गये स्थानों की सूची

1. निकाय सीमा के अन्तर्गत सभी सड़के एवं नालियां।

2. खुले सार्वजनिक स्थान या अचल सम्पत्ति जो निकाय के अन्तर्गत प्रबन्ध हेतु दी गयी हैं।

3. निकाय सीमा के अन्तर्गत कोई स्थान या मौहल्ला।

4. निकाय सीमा के अन्तर्गत सभी खुले स्थान, मोटर स्टेशन या रेलवे स्टेशन सहित।

प्रस्तावित तहबाजारी दरों की सूची

क्र0 सं0	नाम वस्तु/मद	प्रस्तावित हाटबाजार की दरें	दैनिक तहबाजारी की दरें
1	2	3	4
1.	मिर्च, गल्ला, धनिया, लहसुन, आटा, हल्दी, कपास रूई, नमक इत्यादि थोक में	100.00 प्रति फड़	80.00 प्रति फड़
2.	मिर्च, गल्ला, धनिया, लहसुन, आटा, हल्दी, कपास रूई, नमक फुटकर में	50.00 प्रति फड़	25.00 प्रति फड़
3.	घी थोक में	150.00 प्रति फड़	75.00 प्रति फड	
4.	घी फुटकर में	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
5.	गुड़ भेली	0.50 प्रति भेली	0.25 प्रति भेली
6.	जूता फरोश	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
7.	मोची	20.00 प्रति फड़	15.00 प्रति फड़
8.	बिस्कुट, मूंगफली, खोमचे	20.00 प्रति फड़	15.00 प्रति फड़
9.	फल, खरबूजा, तरबूज, आम तथा अन्य फल	10.00 प्रति टोकरी या 150.00 प्रति मेटाडोर	05.00 प्रति टोकरी या 100.00 प्रति मेटाडोर
10.	सब्जी फुटकर में	25.00 प्रति फड़ 10.00 प्रति बोरी या 200.00 प्रति गाड़ी	15.00 प्रति फड़ 05.00 प्रति बोरी या 100.00 प्रति गाड़ी
11.	सब्जी थोक में	20.00 प्रति बोरी या 250.00 प्रति गाड़ी	10.00 प्रति बोरी या 150.00 प्रति गाड़ी
12.	पटवा, नेचेबद, मनिहार, पलिया फरोश	40.00 प्रति फड़	20.00 प्रति फड़
13.	कुम्हार	50.00 प्रति गाड़ी या 50.00 प्रति घोड़ा या 50.00 प्रति फड़	25.00 प्रति गाड़ी या 25.00 प्रति घोड़ा या 25.00 प्रति फड़
14.	टोकर, बांसी आदि	50.00 प्रति फड़	25.00 प्रति फड़
15.	बाल्वर (नाई)	25.00 प्रति फड़	20.00 प्रति फड़
16.	अचार, मुरब्बा आदि	50.00 प्रति फड़	25.00 प्रति फड़
17.	भुर्जी	50.00 प्रति फड़	25.00 प्रति फड़
18.	मेवा फरोश	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़

1	2	3	4
19.	दर्जी	50.00 प्रति फड़	25.00 प्रति फड़
20.	छिपी लिहाफ, दरी, कम्बल आदि के विक्रेता	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
21.	कपड़े की दुकान, बजाज	150.00 प्रति फड़	80.00 प्रति फड
22.	कपड़ा रेडीमेड व पुराना	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
23.	बिसाती	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
24.	तेली	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
25.	तमोली	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
26.	हलवाई	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
27.	सर्राफ–(अ) सोना, चाँदी के जेवर विक्रेता	200.00 प्रति फड़	100.00 प्रति फड़
	(ब) सोना, चाँदी के जेवर विक्रेता	200.00 प्रति फड़	100.00 प्रति फड़
28.	लोहार	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
29.	मछली व अण्डे	150.00 प्रति फड़	80.00 प्रति फड़
30.	मुर्गा, मुर्गी, बत्तख आदि	200.00 प्रति फड़	100.00 प्रति फड़
		05.00 प्रति अदद	05.00 प्रति अदद
31.	पन्सारी	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
32.	गन्ना फरोश	50.00 प्रति फड़	25.00 प्रति फड़
33.	बकरा, बकरी, भेड़ आदि बिक्री	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
34.	रजिस्ट्री अन्य मवेशी बड़ा बिक्री	200.00 प्रति मवेशी	100.00 प्रति मवेशी
35.	कसेरा, अल्यूमिनियम, पीतल, कलई, स्टील आदि के बर्तन विक्रेता	150.00 प्रति फड़	80.00 प्रति फड़
36.	सीके मूंजवान आदि बिक्री	50.00 प्रति फड़	25.00 प्रति फड़
37.	बर्फ की सिल्ली	05.00 प्रति सिल्ली	02.00 प्रति सिल्ली

1	2	3	4
38.	आटा, दाल, चावल आदि	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
39.	चारपाई, मांचे, हरस, लकड़ी के सामान, फर्नीचर, लाठी डन्डे इत्यादि की बिक्री	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
40.	चाट, खोमचा आदि	50.00 प्रति फड या 30.00 प्रति ठेला	25.00 प्रति फड या 20.00 प्रति ठेला
41.	चाय, सोडा, लेमन, मलाई, बर्फ, आईसक्रीम, रस, जूस, इत्यादि फूटकर	50.00 प्रति फड़	25.00 प्रति फड़
42.	सोडा, लेमन, मलाई, पेय पदार्थ आदि के थोक में	400.00 प्रति फड़ 200.00 प्रति टैम्पो 100.00 प्रति रिक्शा	200.00 प्रति फड़ 100.00 प्रति टैम्पो 50.00 प्रति रिक्शा
43.	बीड़ी आदि के विज्ञापन पर	150.00 प्रति कार, टैम्पो, मेटाडोर आदि	80.00 प्रति कार टैम्पो, मेटाडोर आदि
44.	चटाई आदि	05.00 बड़ी अदद	02.00 बड़ी अदद
45.	तम्बाकू, सुरती, पान का तम्बाकू आदि	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
46.	घास अगोला व अन्य चारा	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
47.	लकड़ी, ईधन आदि की बिक्री	2.00 प्रति गट्टा 30.00 प्रति रिक्शा 100.00 प्रति तांगा 80.00 प्रति फड़	1.00 प्रति गट्टा 20.00 प्रति रिक्शा 50.00 प्रति तांगा 40.00 प्रति फड़
48.	पान, सिगरेट, बीड़ी, साबुन, तेल, घी आदि की बिक्री	50.00 प्रति खोमचा 400.00 प्रति ट्रक या 250.00 प्रति टैम्पो या 120.00 प्रति तांगा/ 50.00 रिक्शा	25.00 प्रति खोमचा 200.00 प्रति ट्रक या 150.00 प्रति टैम्पो या 60.00 प्रति तांगा/ 25.00 रिक्शा
49.	इमारती लकड़ी/फर्नीचर, मोटे चौखट आदि	200.00 प्रति फड़	100.00 प्रति फड़
50.	बताशे, बुरा, खण्ड आदि	100.00 प्रति फड़	50.00 प्रति फड़
51.	रेवड़ी, गजक आदि	50.00 प्रति फड़	25.00 प्रति फड़
52.	पौध, आम, नीबू–नारंगी आदि	20.00 प्रति टोकरी 250.00 प्रति गाड़ी	10.00 प्रति टोकरी 150.00 प्रति गाड़ी

1	2	3	4
53.	ईधन, कोयला, ईंट, पत्थर, रेता आदि जमा कर बिक्री पर	300.00 प्रति फड़ 100.00 प्रति ट्राली 200.00 प्रति टैम्पों	150.00 प्रति फड़ 60.00 प्रति ट्राली 100.00 प्रति टैम्पों
54.	मनिहार	50.00 प्रति व्यक्ति	25.00 प्रति व्यक्ति
55.	फेरी वाला	20.00 प्रति व्यक्ति	10.00 प्रति व्यक्ति
56.	डिन्डोला व चर्खा बाईस्को	50.00 प्रति फड़	25.00 प्रति फड़
57.	सर्कस, सिनेमा, वी0डी0ओ0 आदि	250.00 प्रति फड़	150.00 प्रति फड़
58.	संगीत तथा अन्य व्यवसायिक प्रचार लाउडस्पीकर से	100.00 प्रति दिन	50.00 प्रति दिन
59.	नीलामी द्वारा किसी वस्तु का विक्रय	100.00 प्रति दिन	50.00 प्रति दिन
60.	भाषणों का मजमा लगाकर वस्तु का विक्रय या तमाशों का व्यापार	50.00 प्रति दिन	25.00 प्रति दिन
61.	नौटंकी	200.00 प्रति दिन	150.00 प्रति दिन
62.	दूध फेरी वाले	000.50 प्रति लीटर	000.25 प्रति लीटर
63.	सार्वजनिक उद्देश्य से सार्वजनिक भूमि पर खुली या खड़ी गाड़ी, टैम्पो, ट्रक, ट्राली ट्रैक्टर, बस, कार अन्य प्रकार का निर्माण या दीवार लोहा, लकड़ी के ढाँचे से घिरी जगह	50.00 प्रति वर्गमीटर प्रति दिन	25.00 प्रति वर्गमीटर प्रति दिन
64.	सार्वजनिक स्थान अथवा सड़क या सरकारी भूमि पर खुली या खड़ी गाड़ी, टैम्पो, ट्रक, ट्राली, ट्रैक्टर, बस कार, मोटर साईकिल, हैरो प्याऊ आदि, कृषि यंत्र तथा कृषि का सामान थ्रेशर मशीन आदि पड़ा हो तो मैकेनिक दुकान की तहबाजारी देय होगी।	50.00 प्रति वर्गमीटर प्रति दिन	25.00 प्रति वर्गमीटर प्रति दिन
65.	अन्य ऐसे जिनका उल्लेख उपरोक्त में न किया हो	50.00 प्रति दिन	25.00 प्रति दिन

नोट : (अ) एक फड़ की मापदण्ड 232.5 मीटर मान्य होगा।

(ब) तहबाजारी देने का अर्थ केवल भूमि का अस्थाई उपयोग है, जिसे किसी भी समय अनाधिकृत अस्थाई या स्थाई उपयोग को भी किसी नोटिस के द्वारा हटाया जा सकता है।

11. तहबाजारी साप्ताहिक व पैंठ में नगर पालिका परिषद् द्वारा अधिकृत ठेकेदार उपरोक्त निर्धारित दरों से अधिक की धनराशि नहीं वसूल कर सकता है, अधिक वसूली प्रमाणित होने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के ठेके को निरस्त कर दे तथा उसके द्वारा जमा की गयी जमानत की धनराशि को जब्त कर ले, ठेकेदार को इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299 (1) के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पालिका परिषद्, बाजपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर यह आदेश देती है कि उपर्युक्त नियमावली के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो ₹ 1000/– (एक हजार रुपया मात्र) तक हो सकता है और यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, तो ₹ 50/– (पचास रुपया मात्र) प्रतिदिन तक अतिरिक्त अर्थदण्ड हो सकता है।

जसवीर कौर,
अध्यक्ष,
नगरपालिका परिषद्, बाजपुर
(ऊधमसिंह नगर)।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 12 हिन्दी गजट/141–भाग 8–2015 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।